



नितिन पब्लिक स्कूल

फोन: 2593451
9785101010

किसान मार्ग, बरकत नगर, जयपुर

विचारणीय बिन्दु

स्थापित : 1982

सर्वप्रथम सत्र 2014-2015 में उत्तीर्ण हुए बालक/बालिकाओं को विद्यालय परिवार एवं मेरी ओर से हार्दिक बधाई। शिक्षक, शिक्षार्थी और अभिभावक द्वारा त्रिकोणात्मक दायित्व निर्वाह करने पर विद्यालय की गौरव गरिमा चिरस्थायी रहती है। यदि इनमें से एक भी अंग शिथिल रहता है तो कार्य में दृढ़ता और समृद्धि परिलक्षित नहीं होती है। अतः आपसे निवेदन है कि आप शिक्षार्थी के चहुँमुखी विकास हेतु समुचित ध्यान दें। यदि इस सत्र में बालक/बालिका का आचरण एवं अनुशासन विद्यालय आचार संहिता के विपरीत रहा है तो उसे अगले सत्र में प्रवेश देना सम्भव नहीं होगा।

शुभेच्छु
कैलाश चन्द शर्मा
निदेशक

नवीनीकरण आवेदन-पत्र 2015-2016

आपको पुनः सूचित किया जाता है कि पुराने शिक्षार्थियों को, नवीनीकरण हेतु इस फार्म को शुल्क के साथ 07.06.2015 तक प्रातः 8 से 10 बजे के मध्य किसी भी कार्य दिवस को जमा करवाना अनिवार्य है। दिनांक 07.06.2015 तक जमा नहीं करवाने की दशा में यह समझा जायेगा कि शिक्षार्थी इस विद्यालय में पुनः प्रवेश लेने का इच्छुक नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में विद्यार्थी का नाम उपस्थिति पंजिका से पृथक कर दिया जायेगा और उसके स्थान पर नये शिक्षार्थी को प्रवेश दे दिया जावेगा तथा 07.06.2015 के बाद किसी भी परिस्थिति में प्रवेश देना सम्भव नहीं होगा। यदि कक्षा में स्थान रिक्त रहता है तो 10.06.2014 के बाद रु. 500/- पुनः प्रवेश शुल्क जमा कराने पर ही प्रवेश देना सम्भव होगा।

—: आवश्यक जानकारियाँ :—

- विद्यालय में 18.05.15 से 23.06.15 तक अवकाश रहेगा। विद्यालय 24 जून, 2015 बुधवार को प्रातः 7 बजे से पुनः शुरू होगा, प्रथम पारी का समय प्रातः 7 बजे से अपराह्न 12.30 बजे तथा द्वितीय पारी का समय दोपहर 12.00 बजे से सायं 5.30 बजे होगा। अवकाश के दौरान नवीन प्रवेश कार्य ही होंगे।
- विद्यालय में कला, विज्ञान तथा वाणिज्य तीनों संकाय संचालित हैं। 85% या इससे अधिक अंक प्राप्त कर कक्षा 11 में प्रवेश लेने पर विद्यार्थियों को शुल्क में विशेष छूट प्रदान की जायेगी
- विद्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली वाहन सुविधा किसी निजी यात्रा कम्पनी द्वारा अनुबंधित है। अतः वाहन शुल्क जुलाई माह में एक मुश्त जमा कराना होगा।
- नये प्रवेश 15.07.15 तक या कक्षा में निर्धारित संख्या अनुसार प्रवेश पूर्ण होने तक जो भी पहले हो दिये जा सकेंगे।
- टी.सी. हेतु प्रार्थना-पत्र 26.05.15 तक मय शुल्क प्रस्तुत कर 30.05.15 तक टी.सी. प्राप्त कर लें। इसके बाद टी.सी. हेतु प्रार्थना-पत्र 16.07.2015 से लिए जायेंगे।
- सत्र 2015-16 का शुल्क तीन किस्तों में देय होगा। प्रथम किस्त 7.6.15 तक, द्वितीय किस्त 1.10.15 से 7.10.15 तक तथा तृतीय व अन्तिम किस्त 1.2.16 से 7.2.16 तक जमा कराना अनिवार्य है। नियत तिथि के बाद शुल्क जमा कराने पर 50 रु. विलम्ब शुल्क देय होगा जो माह की 20 तारीख तक ही लागू होगा। इसके पश्चात् विद्यार्थी का नाम विद्यालय पंजिका से पृथक किया जा सकता है।
- पुनः/पूरक परीक्षार्थियों को अगली कक्षा में प्रवेश पुनः/पूरक परीक्षा परिणाम घोषित होने के 3 दिन में ही निर्धारित शुल्क जमा कराकर लेना होगा।
- कक्षा 11 की विज्ञान संकाय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी के बोर्ड परीक्षा में 60% तथा वाणिज्य संकाय में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी के 50% अंक होना अनिवार्य है।
- अभिभावक द्वारा विद्यार्थी का अवकाश प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में यदि अभिभावक अनुपस्थिति की सूचना दूरभाष/मोबाइल पर देते हैं तो उपस्थिति रजिस्टर में विद्यार्थी की उपस्थिति/अवकाश दर्ज न करके अनुपस्थिति (Absent) दर्ज की जायेगी। बिना अवकाश स्वीकृत कराये छूट्टी पर रहने वाले/गृहकार्य नहीं करके लाने वाले विद्यार्थियों को अपराह्न 3 बजे तक रोककर गृहकार्य कराया जावेगा।
- अपना वाहन लाने पर प्रत्येक विद्यार्थी को 400 रु. वार्षिक Parking शुल्क अलग से देय होगा।
- उ.पु. की पुनः गणना हेतु 50 रु. प्रति विषय के हिसाब से शुल्क के साथ प्रार्थना-पत्र परिणाम घोषित होने के दिन से 7 दिन में स्वीकार होगा।
- कक्षा 10 व 12 के विद्यार्थी यदि 01.01.2016 से 28.02.2016 तक बिना अवकाश स्वीकृति के अनुपस्थित रहते हैं तो 10 रु. प्रतिदिन अनुपस्थिति शुल्क लिया जावेगा। उक्त अवधि में रोग-प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।
- किसी भी विद्यार्थी को विद्यालय के अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा संस्था प्रधान की बिना पूर्व लिखित स्वीकृति के ट्यूशन नहीं करवाया जायेगा। यदि ऐसा पाया गया तो विद्यालय से शिक्षार्थी का नाम पृथक किया जा सकता है।
- बोर्ड परीक्षा अवधि में तथा अतिरिक्त कक्षाओं के लिए विद्यालय वाहन उपलब्ध कराना सम्भव नहीं होगा।
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रवेश दिये जाते हैं तथा पिछले वर्षों में RTE के तहत प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के अभिभावक द्वारा सत्र 2015-16 के लिए आय घोषणा पत्र दिनांक 10.06.2015 तक जमा कराना होगा।
- विद्यालय द्वारा शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जाता है। अतः वार्षिक उत्सव/विदाई समारोह जैसे कार्यक्रम आयोजित होने पर निर्धारित राशि अलग से जमा करानी होगी।
- विद्यार्थियों/अभिभावकों से अपेक्षा की जाती है कि विद्यार्थी यदि विद्यालय के नियम/उपनियमों के अनुसार अनुशासित रहने में असमर्थता महसूस करता है तो कृपया वह अगले सत्र में प्रवेश नहीं लेवे।

- विद्यार्थी का नाम एस. आर. संख्या
 - पिता का नाम श्री माता का नाम श्रीमती.....
 - कक्षा जिसमें विद्यार्थी उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण हुआ 4. जाति वर्ग : SC/ST/OBC/GEN
 - कक्षा जिसमें विद्यार्थी प्रवेश चाहता है 6. पत्र व्यवहार हेतु वर्तमान पता.....
- फोन: नि. :
- कार्यालय मोबाइल: ई.मेल:

सत्र 2015-2016 का शुल्क विवरण

कक्षा	सत्र का कुल शिक्षण शुल्क	शुल्क जमा कराने की तिथियाँ		
		प्रथम किस्त की अन्तिम तिथि 07.06.2015	द्वितीय किस्त की अन्तिम तिथि 07.10.2015	तृतीय किस्त की अन्तिम तिथि 07.02.2016
L.K.G., U.K.G, PREP	4100	1500	1300	1300
I व II	4700	1700	1500	1500
III से V	5300	1900	1700	1700
VI से VIII	8600	3000	2800	2800
IX-X	11000	3800	3600	3600
XI-XII कला	11000	3800	3600	3600
	12500	4300	4100	4100
XI-XII वाणिज्य	12500	4300	4100	4100
	14000	4800	4600	4600
XI-XII विज्ञान	17300	5900	5700	5700

नोट:- कक्षा XI-XII (कला व वाणिज्य) के लिए नीचे वाले कॉलम में प्रायोगिक विषय लेने वालों का शुल्क दर्शाया गया है।

दिनांक : विद्यार्थी के हस्ताक्षर पिता/संरक्षक के हस्ताक्षर

रसीद संख्या दिनांक रुपये

हस्ताक्षर जाँचकर्ता

हस्ताक्षर जमाकर्ता